यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर उत्तराखंड, के माह 09/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक, श्री सुनील द्त्त सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 08/01/2018 से 19/01/2018 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सन्तोष गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09-02-2016 से 15-09-2016 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 08/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण वभाग का पर्यवेक्षण, अ धकार क्षेत्र, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड ।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को सम र्पत रा श	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2014-15	-	1225.59	148.11	119.70	1313.69	908.63	28.40	1630.65
2015-16	-	1630.65	152.34	119.89	924.74	1179.93	32.44	1375.46
2016-17	-	1375.46	142.83	128.25	1481.25	1130.53	14.57	1726.18
2017-18 up to Dec. 17	-	1726.18	145.50	113.61	313.96	838.87	31.88	1201.27

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई की श्रेणी अ है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) स चव ,ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे: (2) मुख्य अ भयंता स्तर -1 (वभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अ भयंता, स्तर-2,(4) अधीक्षण अ भयंता, (5) अ धशासी अ भयंता (6) साहयक अ भयंता (7) कनिष्क अ भयंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वत्त नियंत्रक ,(2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखा धकारी (4) प्रशासनिक अ धकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग ,प्रखण्ड - बागेश्वर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। ग्रामीण सडके एवं ड्रेनेज के अंर्तगत 2014-15 एवम 2015-16 मे चयनित मोटर मार्ग का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन सर्वा धक व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में निरीक्षण नहीं कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017. तक की गई।
4. फार्म 51: माह दिसम्बर 2017. तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम .....शून्य.....

भाग द् वतीय .....रू5707/-

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह मार्च 2017. के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम ....शून्य.

(ख) सामग्री क्रय .....शून्य.

(ग) नगद परिशोधन .....शून्य.

(घ) निक्षेप ....रू 136271069/-

(ङ) भण्डार .....शून्य.

भाग दो (ब)

प्रस्तर **1**- ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अवमुक्त **₹ 50.50** लाख की धनरा श दो वर्षों से प्रखण्ड स्तर पर अवरुद्ध रखा जाना।

अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड बागेश्वर, कार्यालय के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया क मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में लमचूला सड़क से जूनियर हाई स्कूल लमचूला तक 3.10 क. मी. मोटर मार्ग हेतु ` 321.60 लाख स्वीकृत कए गए थे तथा जिसके लए ` 50.50 लाख दिसंबर 2015 में अवमुक्त भी कए गए थे। जब क संप्रेक्षा के दौरान पाया गया क निर्माण स्थल में वनभू म होने के कारण वर्तमान तक उक्त निर्माण कार्य अनारम्भ ही था तथा उक्त धनरा श प्रखण्ड स्तर पर दो वर्षों से अवरुद्ध ही पड़ी है।

उक्त के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर क जूनियर हाई स्कूल लमचूला तक मोटर मार्ग स्वीकृत कराये जाने के पूर्व ही वन वभाग से उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाली वनभू म के संबंध में अनाप त्त प्रमाण पत्र कन परिस्थितियों में प्राप्त नहीं कया गया? जिसके परिणामस्वरूप ही एक तरफ तो उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कया जा सका तथा दूसरी ओर ` 50.50 लाख की धनरा श प्रखण्ड स्तर पर वगत दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी है, के उत्तर में इकाई द्वारा अवगत कराया गया क प्रखण्ड स्तर पर वन वभाग से भू म हस्तांतरण के संबंध में कार्यवाही गतिमान है तथा भू म हस्तांतरण होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यों क निर्माण कार्य स्वीकृत कराये जाने के पूर्व ही उक्त निर्माण कार्य स्थल में पड़ने वाली वन भू म के हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जो प्रखण्ड स्तर पर नहीं कया गया जिसके परिणामस्वरूप ही ` 50.50 लाख की धनरा श प्रखण्ड स्तर पर वगत दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी है।

अतः वभागीय श थलता के परिणामस्वरूप प्रखण्ड स्तर पर ` 50.50 लाख की धनरा श वगत दो वर्षों से अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर **2**- प्रतिधारक दीवारों **(Retaining Walls)** के निर्माण पर ` **11.19** लाख की धनरा श का परिहार्य **(Avoidable)** व्यय।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड बागेश्वर के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया क फरवरी में प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अ धप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की व शष्टियां जारी करते हुए इन व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु समस्त अ भयन्ताओं को निर्दे शत कया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अ भयंता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, देहारादून को भी अनुपालनार्थ पृष्ठां कत की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अ भयंता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा पत्रांक 2501/ग्रा.अ. से./दिनांक-22.02.14 के द्वारा प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अ भयन्ताओं को निर्दे शत कया गया था एवं उक्त पत्र की प्रति ल प समस्त अ धशासी अ भयन्ताओं, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रे षत की गयी थी उक्त व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने अधीक्षण अ भयंताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जब क अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग,प्रखण्ड बागेश्वर कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अव ध में स्वीकृत निर्माण कार्यो के निष्पादन से सम्बन्धित अ भलेखों की जांच में पाया गया (Annexure'A') के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का 982.78 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी के स्थान पर आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी सीमेंट मोर्टार 1:6/1:5 मेसनरी में निष्पादित कराये जाते हुए ` 25.33 लाख की धनरा श व्यय की गयी। जब क 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ` 14.14 लाख की धनरा श ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के

परिणामस्वरूप ` 11.19 लाख की धनरा श का परिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) कया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड बागेश्वर द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया क उक्त सभी निर्माण कार्य स्थलीय आवश्यकता एवं कार्य के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए निष्पादित कराये गए हैं तथा प भ वष्य में इस तरह के निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व सक्षम प्रा धकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त करते हुए निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड तथा मुख्य अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, उत्तराखंड के आदेशों में स्पष्ट रूप से आदे शत करते हुए 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आर आर ड्राइ में कए जाने हेतु निर्दे शत कया गया था तथा प यदि अपरिहार्य परिस्थितियों स्थलीय आवश्यकता थी भी तो प्रखण्ड स्तर पर मुख्य अ भयंता स्तर से उक्त के संबंध में पूर्वानुमति लया जाना अपे क्षत था जैसा क प्रखण्ड स्तर पर नहीं कया गया।

इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर वभागाध्यक्ष स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्रा धकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ` 11.19 लाख की धनरा श का परिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में ` 11.19 लाख की धनरा श के परिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure-'A'

प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (**RR dry stone masonry as per drawing number** 01/**RW/2014)** के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 अथवा 1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने संबंधी ववरण:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No.	**Name of the Road**	**Bond No, Date and Amount (in lakh)**	**Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Aggrementd rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum**	**Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar**	**Aggrementd rate of RR dry stone masonry Per Cum**	**Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry**	**Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7- Column 9)**
1	नामती चेटाबगड़ से लाथी मोटर मार्ग का निर्माण	3/अअ/22.4.16 `- 22.31	19.74	264.05	2771.00	7,33,530.90*	1529.07	4,03,750.93	3,29,779.97
		4/अअ/22.4.16 `- 22.68	19.74	284.34	2771.00	7,89,896.52**	1529.07	4,34,775.76	3,55,120.76
2	तिलसारी मोटर मार्ग से चनौली नरग्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण	1/अअ/22.4.16 `- 33.96	119.00	166.75	2776.61	4,62,999.72	1532.13	2,55,482.68	2,07,517.04
3	दफौत-बनकोट मोटर मार्ग से आमखेत तक मो. मा. का निर्माण	5/अअ/27.7.16 `- 33.96	108.50	103.42	2771.06	2,86,583.02	1529.06	1,58,135.39	1,28,447.63
4	ओखली सरौद पु लया से मलस्यारी तक मोटर मार्ग का निर्माण	7/अअ/15.6.16 `-	23.86	132.16	1500.00	1,98,240.00	950.00	1,25,552.00	72,688.00
		6/अअ/29.4.16 `-	5.60	32.06	1919.00	61523.14	1122.00	35,971.32	25,551.82
	Total		299.44	982.78		**25,32,773.30**		**14,13,668.08**	**11,19,105.22**

*, ** CB no 03 and 04 were below 0.25 percent but during payment such below rates were not deducted at division level.

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3- **₹ 15.82** लाख की धनरा श तीन वर्षों से अ धक समय तक अदावाकृत रह्ने के उपरांत भी राजस्व में जमा न कया जाना ।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के प्रस्तर 622 के अनुसार ठेकेदारों की अदावाकृत धनरा श को ठेकेदारों द्वारा तीन वत्तीय वर्षो तक मांग नहीं कए जाने पर व्यपगत जमा के रूप मे राजस्व को जमा की जानी चाहिए ।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड बागेश्वर की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क प्रखण्ड स्तर पर ₹ 15.82 लाख की अदावाकृत धनरा श तीन वर्षो से अ धक समय से पड़ी थी जिसको वत्तीय प्रावधानों के अनुसार राजस्व को क्रे डट कया जाना अपे क्षत था परन्तु प्रखन्ड स्तर पर ऐसा नही करते हुए धनरा श को अवरुधरखा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर कार्यालय ने स्वीकार करते हुये अपने उत्तर मे बताया क संबं धत ठेकेदारों/ फर्मों से अदावाकृत धनरा श के संबंध मे पत्राचार कया जायेगा यदि कोई आवेद्न नहीं करता है तो धनरा श राजस्व को क्रे डट कया जाना सुनिश्चित कया जाएगा। वभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क तीन वर्षो से अ धक समय व्यतीत होने के बाद भी प्रखण्ड स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः ₹ 15.82 लाख धनरा श राजस्व के रूप मे जमा नहीं करने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संजान मेंलाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4- ठेकेदारों को लाभ पहुँचने के उद्देश्य से ` **8.50** लाख की धनरा श वलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी एवं जब्त नहीं कया जाना।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रखण्ड बागेश्वर के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क प्रखण्ड स्तर पर रा. उ. मा. व. पगना के मुख्य भवन के निर्माण एवं पशु च कत्सालय, बिलौना में टाइप II के चार नग क्वार्टर्स के निर्माण हेतु अनुबंध संख्या 14/अधी. अ भ./14-15/20.11.14 एवं 10/अ ध. अ भ./15-16/29.09.15 जिनकी अनुबं धत लागत क्रमशः ` 86.19 लाख एवं ` 27.74 लाख थी, गठित कए गए थे।

उक्त दोनों निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित ति थयाँ क्रमशः 19.11.15 एवं 28.07.16 थीं। जब क संप्रेक्षा के दौरान पाया गया क उक्त दोनों निर्माण कार्यों पर संप्रेक्षा ति थ (जनवरी 2018) तक कुल ` 85.00 लाख (क्रमशः ` 66.89 लाख एवं ` 18.11 लाख) व्यय कए जाने के उपरांत भी उक्त दोनों निर्माण कार्य अपूर्ण ही पड़े थे।

जब क जी.पी. डब्लू. 9 (संशो धत) के उपबंध -4 के बिन्दु संख्या एक से पाँच के अनुसार यदि संबन्धित ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का 1/8 भाग अनुबं धत समय के ¼ भाग में, निर्माण कार्य का ¾ भाग अनुबं धत समय के ¾ भाग में तथा पूर्ण अनुबं धत समय में पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कया जाता है तो प्रत्येक स्टेज पर कुल अनुबं धत रा श की क्रमशः 2.5%, 3.5% एवं 4% (कुल 10%) धनरा श उसको भुगतान की जाने वाली धनरा श से रोकी (Withheld) जाएगी एवं निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण न करने की स्थिति में जब्त (Forfeit) की जाएगी। जब क लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क संबन्धित ठेकेदारों द्वारा उक्त निर्माण कार्य अनुबं धत अव ध से एक वर्ष से भी अ धक अव ध व्यतीत होने के उपरांत भी पूर्ण न कए जाने के उपरांत भी प्रखण्ड स्तर पर उक्त ठेकेदार की कोई धनरा श रोकी नहीं गयी। जब क नियमानुसार संबन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी ` 85.00 लाख के सापेक्ष ` 8.50 लाख की धनरा श रोकी एवं जब्त की जानी चाहिए थी। जब क प्रखण्ड स्तर पर ऐसा नहीं कया गया। संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया क संबन्धित ठेकेदारों द्वारा अनुबं धत समय के समाप्त होने के डेढ़ से दो वर्ष से भी अ धक अव ध व्यतीत होने के उपरांत भी वभाग को समय वृद् ध प्रार्थना प्रस्तुत नहीं कया गया।

उक्त के संबंध में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क उक्त दोनों निर्माण कार्यों के निर्माण स्थल मोटर मार्ग से अत्य धक दूरी पर होने के कारण समय पर पूर्ण नहीं कए जा सके एवं जी. पी. डब्लू. 9 के अनुसार संबन्धित ठेकेदारों से वलंब हेतु क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित धनरा श रोकी ही गयी एवं न ही जब्त की गयी परंतु भ वष्य में इस तरह के प्रकरणो में जी. पी. डब्लू. 9 के अनुसार धनरा श रोकी जानी एवं जब्त की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क निर्माण कार्य निर्धारित अव ध में पूर्ण न कए जाने पर प्रखण्ड स्तर पर संबन्धित ठेकेदारों से जी. पी. डब्लू. 9 के अनुसार ` 8.50 लाख की धनरा श रोकी जानी एवं जब्त की जानी चाहिए थी जब क प्रखण्ड स्तर पर ऐसा नहीं कया गया।

अतः ठेकेदारों को लाभ पहुँचने के उद्देश्य से ` 8.50 लाख की धनरा श वलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी एवं जब्त नहीं कए जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
39/2005-06	-	01	-
57/2006-07	-	02	-
83/2010-11	-	1,2	-
03/2014-15	-	1,2,3,4,5	01
59/2016-17	-	1,2,3	-
योग	-	12	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या खण्ड द्वारा तैयार नहीं की गयी थी खण्ड द्वारा आश्वस्त कया गया क उच्चा धकारियों की संस्तुति के उपरांत अनुपालन आख्या कार्यालय महालेखाकार को प्रे षत कर दी जायेगी				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु .अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग ,प्रखण्ड - बागेश्वर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) -

(ii) शून्य

(iii) -

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) -

(ii) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्रीडी० सी० पंत	अ धशासी अ भयंता	(01.09.2016 से 31.12.2016)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकारसामाजिक क्षेत्र (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री सुनील कुमार 01.09.2016 to 18.08.2017
2. श्री नितिन परिहार 18.08.2017 to till date

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.